भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2374

दिनांक 09.03.2021 /18 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, 2020

†2374 श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः
श्री तालारी रंगैय्याः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
कुमारी गोड्डेति माधवीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020 को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बलात्कार के जघन्य अपराध के मुकदमों की त्वरित सुनवाई और निर्णय में तेजी लाने के लिए सरकार की किस प्रकार की योजना है; और

(घ) देश में महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020, जिसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखा गया था, जनवरी, 2021 में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु प्राप्त हुआ है। परम्परानुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यों से प्राप्त विधेयकों पर नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जाती है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध निर्दिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020 से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके इनपुटों के आधार पर, विधेयक पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ग): दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 में बलात्कार के मामलों की जांच और विचारण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(घ): सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(i) आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली में सभी आपात स्थितियों के लिए एक अखिल भारतीय एकल अंतर्राष्ट्रीय मान्य नंबर (112) आधारित प्रणाली की व्यवस्था है।

(ii) साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लांच किया गया है।

(iii) पहले चरण में 8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(iv) एक ऑनलाइन एनालिटिक टूल "यौन अपराधों हेतु जांच ट्रैकिंग प्रणाली" लांच किया गया है।

(v) फॉरेंसिक विज्ञान अवसंरचना का अपग्रेडेशन शुरू किया गया है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहा है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

****